संख्याः 860/44-1-2010

प्रेषक,

श्री हरि राज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभाग के
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 12 मई,2010

विषयः- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008,दिनांक 04मई,2010 द्वारा लागू की गयी है । तद्नुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को भी उक्त नई व्यवस्था लागू कराये जाने के संबंध में सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-428/44-1 -2010, दिनांक 10 मार्च,2010 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरुप अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(हरि राज किशोर)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 860(1)/44-1-2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,उ0प्र0, 242-जवाहर भवन, लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सी0 पी0 सिंह)
उप सचिव।